राजस्थान– सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प. 9(5)(96)कार्मिक/क–3/98 जयपुर, दिनांक 19.9.98

परिपत्र

कार्य विधि नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाएं एवं राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा सम्पदित की जाती है।

कार्मिक विभाग द्वारा सम्पादित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों पर अपने स्तर पर परीक्षण कर के सक्षम स्तर से अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने का प्रशासनिक निर्णय लेने के उपरान्त ही प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करते हैं। अतः यह निर्धारित प्रक्रिया अनुसार व्यवस्था है कि अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही स्वीकार करता है।

कार्मिक विभाग में अनेक प्रकरण विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्तगण इत्यादि द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव/प्रार्थमिक जांच प्रतिवेदन के रुप में प्रस्तुत किये हैं, जो उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसरण में नहीं हैं। जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करवाये जाने चाहिए

अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अधिकारीगणों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को ही प्रस्तुत करें। कार्मिक विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव केवल प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे।

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर